न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी सुनील आर्य आर. ए. एस.)

मु0न0–195 / 2012 13A

1–उमराव पुत्र रामहेत, जाति–काछी निवासी नगला खुशफहम तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.) –मृतक

1/1 घमण्डीसिंह उम्र 40 साल पुत्र सूरजसिंह, जाति– काछी निवासी नगला खुशफहम तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

–वादी

(बनाम)

1– पत्ती पुत्र बाल्या, जाति धाकड निवासी नगला मेघसिंह, तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.) (मृतक)

1/1– रामेश्वरी उम्र 85 साल पत्नी स्व. श्री पत्ती जाति– धाकड निवासी नगला मेघसिंह तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

1/2– निनुआ उम्र 45 साल पुत्र स्व. श्री पत्ती जाति– धाकड निवासी नगला मेघसिंह तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

1/3– चन्दा उम्र 60 वर्ष पुत्री पत्ती पत्नी धनीराम जाति– धाकड निवासी गांव बृहम्बाद , तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

1/4– महादेवी उम्र 40 वर्ष पुत्री पत्ती पत्नी रामकिशन जाति– धाकड निवासी गांव लहचौराकलां, बृहम्बाद , तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

1/5– सोनदेई उम्र 35 वर्ष पुत्री पत्ती पत्नी प्रकाश जाति– धाकड निवासी हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज.)

1/6– सुमित्रादेई उम्र 30 वर्ष पुत्री पत्ती पत्नी सुगडसिंह जाति– धाकड निवासी हिण्डौनसिटी जिला करौली (राज.)

2–रमेश आयु–साल पुत्र लालचन्द, जाति धाकड निवासी नगला मेघसिंह, तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

154

3–हुकमसिंह आयु–साल पुत्र लालचन्द, जाति धाकड निवासी नगला मेघसिंह, तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

4–केदारसिंह आयु–साल पुत्र लालचन्द, जाति धाकड निवासी नगला मेघसिंह, तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

5– दौजी आयु–साल पुत्र वाल्या, जाति धाकड निवासी नगला मेघसिंह, तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

–असल प्रतिवादीगण

6– सूरज आयु 60 साल पुत्र रामहेत, जाति–काछी निवासी नगला खुशफहम तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

7–अंगद आयु 55 साल पुत्र रामहेत, जाति–काछी निवासी नगला खुशफहम तहसील बयाना जिला–भरतपुर (राज.)

–तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा डिक्लेरेशन हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.टी.एक्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

निर्णय

दिनांक 03/02/2021

उपस्थिति :– श्रीराम शर्मा एडवोकेट वादी
श्री नरेश कुमार सिंघल एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 3,4

वादी द्वारा यह दावा डिक्लेरेशन हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. पुराना 303/105 रकवा 6 वीघा 8 विस्वा जिसका नया बन्दोवस्ती खसरा नम्बर 233 रकवा 1.04 हैक्टेयर ग्राम जसबन्तनगर तहसील बयाना में स्थित है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, वादी तथा प्रतिवादी तरतीवी संख्या 6व 7 हिस्सा 1/2 तथा शेष 1/4 हिस्सा लालचन्द, गैदा व दौजी पिसरान वाल्या धाकड निवासी नगला मेदसिंह तहसील बयाना राजस्व रिकार्ड में प्रत्येक 1/12 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज थे लालचन्द व गैदा की मृत्यु हो चुकी है।तथा प्रतिवादी संख्या 5 दौजी काफी समय अर्सा करीब 30 साल से लापता है। तरतीवी प्रतिवादी संख्या 6व7 वादी के सगे छोटे भाई है। त[illegible] उक्त आराजी में प्रत्येक 1/16 हिस्सा के सहखातेदार होने के कारण [illegible] विरूध्द कोई सहायता नहीं चाही गई हैं। वादी ने दिनांक 29.06.1987 को [illegible] आराजी ख.नं. पुराना 303/105

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

151

रकवा 6 बीघा 8 बिस्वा का 5/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व लालचन्द व गैंदा पिसरान बाल्या जाति धाकड निवासी नगला मेदसिंह से 12000/– रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया था उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी के हक में दाखिला खारिज संख्या 21 दिनांक 20.06.89 को भू–प्रबंध विभाग द्वारा दर्ज कर तस्दीक कर दिया गया है। इस प्रकार वादी आने 5/12 स्सि पर विक्रय पत्र कराने के दिन से आज तक काविज है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने जमावन्दी बनाते समय खातेदारी का इन्द्राज वादी के नाम अंकित नहीं किया तथा इन्द्राज विक्रेतागण के नाम ही राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है। विक्रेतागण में से लालचन्द व गैदा की मृत्यु हो चुकी है। गैदा लावल्द विला औरत फोत होने के कारण उसके स्थान पर लावचन्द के पुत्र रमेष के नाम खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में हो गया तथा लालचन्द के स्थान पर उनके पुत्रगण हुकमसिंह व केदारसिंह के नाम खातेदारी का इन्द्राज हो गया है जो कि खिलाफ मौका व कानून है। राजस्व रिकार्ड में गलत हो रहे इन्द्राज की बजह से प्रतिवादी असल की नियत में खराबी आ गयी है दिनांक 20.07.06 को प्रति. असल ने मौके पर आकर वादी को धमकी दी है कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम दर्ज है अब तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे तथाकिसी अन्य व्यक्ति को इस आराजी के अपने हिस्सा को विक्रय कर देंगे। अतः वादी को सख्त हक तलफी व वरवादी है तथा वादी विवादित आराजी में अपने द्वारा खरीद किये गये हिस्सा का खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादीगण असल को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने का अधिकारी है कि प्रतिवादीगण असल वादी को उसके द्वारा क्रय किये गये रकवा से बेदख्ल नहीं करे तथा वादी के कब्जा काश्त व खातेदारी में किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत बेजा न करें। तथा रहन वय व मुन्तकिल नहीं करें। वदी वजह यह वाद पत्र पेश है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

अन्त में यह वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा पेश दर्ज होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया। प्रतिवादी सं. 01 पत्ती द्वारा दिनांक 29.03.07 को राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 05 के विरूध्द न्यायालय हाजा के आदेशिका दिनांक 05.05.07 से एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 04 द्वारा दिनांक 25.11.06 को अपना जबाब दावा पेश कर अंकित किया है कि दिनांक 29.06.87 को या अन्य कमी कोई विक्रय पत्र मुवलिग 12000/– या अन्य किसी राशि की एवज में प्रतिवादी 1 व 2 लालचन्द व गैदा पिसरान वाल्या जाति धाकड निवासी नगला मेदसिंह ने वादी के हक में तहरीर व रजिस्टर्ड नही कराया है और न अपने 5/12 हिस्से की आराजी को वादी के हक में विक्रय किया न कोई आराजी का कब्जा किया। वादी को इस आराजी के 5/12 हिस्सा या अन्य किसी भाग के कोई हक खातेदारी काश्तकारी प्राप्त नहीं होते है न ही मौके पर वादी का कब्जा है बल्कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

विवादित आराजी में प्रतिवादी सं. 01 व लालचन्द व गैदा पुत्रान वाल्या का अपने जीवन काल तक काबिज रहे। जिसमें से गैदा का वल्द विला औरत फोत हो गया है। प्रति. 2 लगायत 04 विवादित आराजी पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। वादी का इस आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी की खुल्लम खुल्ला जानकारी में लालचन्द व गैदा के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्रिज होता चला आ रहा है। और यह इन्द्राज लालचन्द व गैदा के स्थान पर दाखिल खारिज स्वीकृत हुआ है। लेकिन वादी ने आज तक दाखिल वाारिज के विरूध्द कोई अपील पेश नहीं की है। वादी प्रतिवादीगण असल के विरूध्द कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया है।

दावा, जबाबदावा के आधार पर निम्नानुसार तन्कीयत कायम की गई

1. **आया वाद पत्र की खण्ड सं. 1 के अनुसार वादी विवादित आराजी में 05/12 भाग का काबिज है।**
2. **आया प्रति. ने दिनांक 20.07.06 को वादी को वाद पत्र की मद सं. 06 में वर्णित धमकी की है।**
3. **आया वाद की खण्ड सं. 4के अनुसार वाद–वादी खारिज योग्य है।**
4. **आया उत्तर वाद की खण्ड सं. 11 अनुसार वाद – वादी खारिज योग्य है।**
5. **आया उत्तर वाद की खण्ड सं. 12 अनुसार वाद वादी अन्दर म्याद नहीं है।**
6. **<u>दादरसी</u>–**

दस्तावेजी– साक्ष्य में वादी ने अखवार साया भरतपुर भास्कर दिनांक 07.04.2007 विवाधकों के स्थिरीकरण के लिये समन प्रदर्शन जमा. 2059–62 प्रदर्शन–2, नकल नामान्तकरण सं. 21 प्रदर्शन –3, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4 विकय पत्र 29.06.87 प्रदर्श–5 मौखिक साक्ष्य में पी डब्लू –1 उमराव पी डब्लू 2 भवरसिंह के शपथ पत्र मय जिरह पेश हुई। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 04 नें अपने दस्तावेजी साक्ष्य में डीडब्ल्यू–1 हुकम सिंह के शपथ पत्र पेश किया।

हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख साक्ष्य, जिरहों का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है

<u>तनकी नम्बर–1</u> **आया वाद पत्र की खण्ड सं. 1 के अनुसार वादी विवादित आराजी में 05/12 भाग का काबिज है।** इस तनकी को सिध्द करने का भार वादी के उपर था। जमाबन्दी सम्बत 2059–62 प्रदर्ष 01 अनुसार [illegible] ना प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने खसरा नं. 303/105 रकबा 6 बीघा [illegible] बताया गया है। प्रदर्श.2 जमा 2059–62 में पत्ती पुत्र घीशा 1/4 हि. [illegible] सिंह सूरज सिंह अगद सिंह पिसरान रामहेत व हि बराबर कौम काछी 1/2 हि. ग्रा. नगला खुशफहम , रमेश पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

लालचन्द 1/12 हि हुकम सिंह केदार सिंह पिसरान लालचन्द कौम धाकड हि. बरा0 1/12 सा. देह न.मेदसिंह दौजी 1/12 हि. पिसरान वाल्या कौम धाकड सा0देह न0 मेदसिंह खातेदार दर्ज अभिलेख है। विक्रय पत्र दिनांक 26.06.1987 अनुसार पत्ती पुत्र घीसा गैदा व लालचन्द पिसरान वाल्या जाति धाकड निवासी नगला मेदसिंह तहसील बयाना द्वारा ग्राम–जसबन्तनगर के तह. बयाना के साबिक खसरा नं. 303/105 रकवा 6 बीधा 8 बिस्वा से 5/12 भाग को उमराव सिहर रामहेत जाति काछी निवासी नगला खुशफहम तह बयाना जिला भरतपुर को विक्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर दा.ख. संख्या 21 कि. 2016/89 दर्ज कर तस्दीक हुआ।

स्वयं वादी उमराव ने आने जिरह में पुराने ख.नं. 303/105 आया हिस्सा खरीदा था लालचन्द पत्ती गैदा कितने साल पहले करें मुझे मालूम नहीं। वादी द्वारा विवाधित आराजीयात का रजिस्टर्ड विके पत्र का क्रय करना तो सिद्व है परन्तु वादी उमराव फौत हो चूका है जहां तक वादी 1/1 घमन्डी सिंह मृतक उमराव का मुकाम का प्रशन है श्री घमन्डी सिंह द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि मृतक उमराव का कानूनी वारिस वादी 1/1 घमन्डी सिंह ही हो। श्री घमन्डी सिंह प्रतिवादी 1/1 द्वारा अनरजिस्टर्ड वासियत की छायाप्रति ही अपने वाद पत्र के साथ पेश की है प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड वासियत की छायाप्रति प्रस्तुत करने के आधार पर यह सिद्व नही होता है कि मृतक उमराव का कानूनी कायम मुकाम/वारिस वादी 1/1 घमन्डी सिंह हो ऐसी स्थिति में उमराव द्वारा चाही गई दादरसी वादी 1/1 श्री घमन्डी सिंह दिया जाना न्याय उचित नही है। अतः यह तनकी विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3 व 4 तय की जाती है।

तनकी नम्बर–2 आया प्रति. ने दिनांक 20.07.06 को वादी को वाद पत्र की मद सं. 06 में वर्णित धमकी दी है। इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादी का ही है। चूकि तनकी नम्बर 1 विरूद्व वादी तय हो चुकी है अतः यह तनकी भी विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी नम्बर –3 आया वाद की खण्ड सं. 4के अनुसार वाद–वादी खारिज योग्य है। इस तनकी का भार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के उपर था चूकि तनकी नम्बर 1 व 2 विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3, 4 तय हो चुकी है अतः यह तनकी भी विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3 ,4 तय की जाती है।

तनकी नम्बर – 4 आया उत्तर वाद की खण्ड सं. 11 अनुसार वाद – वादी खारिज योग्य है। इस तनकी का भार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के उपर था चूकि तनकी नम्बर 1, 2 व 3 विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3, 4 तय हो चुकी है अतः यह तनकी भी विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3 ,4 तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

184

तनकी नम्बर –5 आया उत्तर वाद की खण्ड सं. 12 अनुसार वाद वादी अन्दर म्याद नहीं है। इस तनकी का भार प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के उपर था चूकि तनकी नम्बर 1, 2, 3 व 4 विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3, 4 तय हो चुकी है अतः यह तनकी भी विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3 ,4 तय की जाती है।

चूकि तनकी 1 लगायत 5 विरूद्व वादी वहक प्रतिवादी 3 व 4 सिद्व हो चुकी है अतः वाद वादी खारिज योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फसल सुमार होकर नम्बर से कम हों, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय आज दिनांक 03/02/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिकी पर्चा जारी हो।

सुनील आर्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकरी बयाना

उपखण्ड अधिकारी
(बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.03.08 12:03:54 IST
Reason: SelfAttested